न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 93/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1. श्री बालकृष्ण पुत्र श्री रमेशचन्द्र भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी केलवाड़ा ग्राम पंचायत केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद जिला बारां
2. ग्राम पंचायत केलवाड़ा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, शाहाबाद जिला बारां (राज.)

(गैरनिगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक **(निगराकार)**

2. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **(गैर निगराकार कम 1)**

निर्णय दिनांक 04.08.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 20.05.2003 को आबादी भूमि का पट्टा कमांक 801 साइज 40X40 कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट का गैर निगराकार कम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टा मकानों का विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के अंतर्गत जारी करना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। मौके पर कोई पुराना मकान बना होना नहीं पाया है। ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध मनमाने तरीके से पट्टा जारी किया है और राजकोष को हानि पहुंचाई है। ग्राम पंचायत केलवाड़ा की ऑडिट निरीक्षक रिपोर्ट 2003–04 में उक्त बाबत आक्षेप गठित किया गया था जिसकी जांच विकास अधिकारी व लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां द्वारा की गई थी। इस जांच में भी गैर निगराकार को जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्ध पाया गया है और गैर निगराकार से मुताबिक डीएलसी दर 15750/– रूपये वसूली योग्य पाये गये हैं जो भी गैर निगराकार द्वारा जमा नहीं करवाये गये हैं। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में दिनांक 20.05.2003 को जारी पट्टा संख्या 801 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार कम 1 जर्ये अभिभाषक तथा अप्रार्थी कम 2 जर्ये प्रतिनिधि उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार कम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। तथा अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष उपस्थित अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार कम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा मकानों का विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के अंतर्गत जारी करना दर्शाते हुए पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाकर राजकोष को हानि पहुंचाई है। गैर निगराकार को अन्तर राशि जमा कराये जाने हेतु पर्याप्त

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

समय दिये जाने के उपरान्त भी गैर निगराकार द्वारा अन्तर राशि जमा नहीं करवाई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा कमांक 801 दिनांक 20.05.2003 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार कम 1 ने कथन किया कि गैर निगराकार कम 2 द्वारा प्रस्ताव लेकर शंकरलाल जोशी पुत्र मांगीलाल जाति जोशी निवासी आगर तहसील शाहाबाद के नाम जिस जगह का पट्टा जारी किया गया था उसे गैर निगराकार कम 1 ने शंकरलाल से जर्ये इकरारनामा खरीदकर शंकरलाल के नाम जारी पट्टे को ग्राम पंचायत में समर्पित किया ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में पट्टा फीस 2200/– रूपये जमा करवाकर पुनः पट्टा जारी किया गया जिसके विरूद्ध निगरानी बेरून मियाद पेश की है। पट्टा किस जगह का जारी किया गया। इसके पश्चात गैर निगराकार कम 1 ने ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर अपने मकान का निर्माण करवाया। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार कम 1 को अन्तर राशि जमा कराने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया। ग्राम पंचायत को उक्त तथ्यों के आधार पर पंचायत समिति में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। नियमों में अपील का प्रावधान होने से हस्तगत निगरानी चलने योग्य नहीं है। प्रस्तुत निगरानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो गैर निगराकार कम 1 व उसका परिवार बेघर हो जायेगें। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिबीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11006/2012 बउनवान Nagar Mal Vs. Addl. District Collector, Sikar & Ors. में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2012 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 57/2020 बउनवान Khusal Singh Vs. State Of Rajasthan & Ors में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2020 की छायाप्रतियां पेश की। साथ ही अभिभाषक निगराकार ने पुनः पट्टा जारी करने के बाबत कथन किया कि पट्टा एक बार ही जारी होता है जिसका लीगल सेल डीड के जरिये बेचान होता है नया पट्टा जारी नहीं होता। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा कमांक 801 दिनांक 20.05.2003 निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना भी प्रस्तुत विधिक दृष्टांत से स्पष्ट है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनः पट्टा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा विक्रयकर्ता शंकरलाल के पक्ष में जारी पट्टे को पुनः गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्ध जारी किया गया है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैरनिगराकार कम–1 श्री बालकृष्ण [illegible] को जारी पट्टा कमांक 801 दिनांक 20.05.2003 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी [illegible] पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested